



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 जुलाई 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जून 2024

जून 2024¹ महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण² में जून 2024³ में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव के कारण 16.3 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण³ के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में जून 2024 में वृद्धि 17.4 प्रतिशत (व-द-व) पर मजबूत थी, हालांकि, एक साल पहले के 19.7 प्रतिशत की तुलना में कम थी।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में जून 2024 में 7.7 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जबकि जून 2023 में यह 7.4 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद', 'खाद्य प्रसंस्करण', और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' की ऋण वृद्धि (व-द-व) में जून 2024 में तेजी आई। तथापि, 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद तथा परमाणु ईंधन' और 'कपड़ा' की ऋण वृद्धि धीमी हुई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि जून 2024 में काफी कम होकर 15.1 प्रतिशत (व-द-व) पर रही, जबकि एक साल पहले यह 26.8 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' खंड में प्रदत्त ऋण में कम वृद्धि की वजह से थी।
- वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि एक साल पहले के 21.3 प्रतिशत से घटकर जून 2024 में 16.6 प्रतिशत (व-द-व) हो गई, जो मुख्यतः 'अन्य वैयक्तिक ऋणों' और 'सावधि जमा पर अग्रिम' में वृद्धि में कमी की वजह से थी। तथापि, इस खंड के सबसे बड़े घटक 'आवास' की ऋण वृद्धि में तेजी आई।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/803

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

¹ आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार से संबंधित हैं।

² खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

³ किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।